

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णियाँ

सी0सी0ए0 वाद संख्या-17/15

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी मो0 मुस्लिम उर्फ मुसा

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-4053/सी0आर0 दि0-09.09.15 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मो0 मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो0 हबीब सा0-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

उपलब्ध प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुख्यात अपराधकर्मी मो0 मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो0 हबीब सा0-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जिसके विरुद्ध डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर काण्ड प्रतिवेदित है। जिस कारण से पूरे इलाके में उसका आतंक फैला है और लोक शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी होने से शान्ति का माहौल बना था, परन्तु उक्त अपराधकर्मी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. सदर (डगरूआ) थाना कांड संख्या-82/08 दिनांक-03.03.08, धारा-392 भा0द0वि0, आरोप पत्र संख्या-121/08, दिनांक-31.01.08
2. सदर (डगरूआ) थाना कांड संख्या-110/08 दिनांक-17.03.08, धारा-399/402 भा0द0वि0, एवं 25(1-ए)बी 26 (2)/35 आर्म्स एक्ट आरोप पत्र संख्या-61/08, दिनांक-15.05.08

जमानत पर बाहर आने के बाद इस अपराधकर्मी के द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर मतदाताओं को डराने-धमकाने की बात सामने आयी है। इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में कांड लंबित है उनमें गवाही देने के लिए वादी और साक्षीगण या तो डर से जायेंगे ही नहीं और यदि जायेगे तो उसके विरुद्ध गवाही नहीं देंगे बल्कि अपना बयान बदल लेंगे।

वर्तमान में ये आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के मद्देनजर सहयोगियों के मदद से थाना क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी देने की बात प्रकाश में आयी है।

विपक्षी को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी मो0 मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो0 हबीब सा0-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु साक्ष्य सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उसके अपराधिक गतिविधि के मद्देनजर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने के लिए, ताकि लोक शान्ति एवं आसन्न विधान सभा निर्वाचन-2015 को शान्तिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत क्यों नहीं कार्रवाई की जाय के सम्बन्ध में कारण पृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। कारणपृच्छा दाखिल की

गई। कारणपृच्छा में प्रतिवेदित है कि उक्त दोनों कांडों में मुझे फँसाया गया है। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं पाया।

अपराधकर्मी को सुनने के बाद प्रतिवादी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये “असामाजिक तत्व” है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर मो० मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो० हबीब सा०-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3, की उप धारा-3 के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन-2015 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक M. M. M. M. थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति देने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ पूर्णियाँ जिला के Mirganj थाना में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक-05.11.2015 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो उन्हें लिखित रूप से सूचना Mirganj थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात् ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, Mirganj को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी मो० मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो० हबीब सा०-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मो० मुस्लिम, उर्फ मुसा, पिता-मो० हबीब सा०-चगुआ, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णियाँ को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष डगरूआ को भेजे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ /थानाध्यक्ष, Mirganj / डगरूआ को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिए अग्रसरित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णियाँ जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित एवं संशोधित  
M. M. M. M.  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णियाँ


M. M. M. M.  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्णियाँ

ज्ञापांक.....24/2...../विधि, दिनांक-.....25/9/15.....

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
अनुरोध है कि आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्ष एवं अपराधकर्मी को अपने स्तर से तामिला हेतु भेजने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, **N.I.C.** पूर्णियों को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।

  
वरीय उपसमाहर्ता  
जिला विधि-शाखा  
पूर्णियों ।

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णियाँ

सी0सी0ए0 वाद संख्या-19/15

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी नवीन कुमार यादव

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-4059/सी0आर0 दि0-09.09.15 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी नवीन कुमार यादव, पिता- सदानंद यादव, सा0-चिमनी बाजार, थाना-सदर, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

उपलब्ध प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुख्यात अपराधकर्मी नवीन कुमार यादव, पिता- सदानंद यादव, सा0-चिमनी बाजार, थाना-सदर, जिला-पूर्णियाँ एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जिसके विरुद्ध हथियार के बल पर डकैती करना हत्या करना जैसे गंभीर काण्ड प्रतिवेदित है। जिस कारण से पूरे इलाके में उसका आतंक फैला है और लोक शान्ति के लिए खतरा बना हुआ है। गिरफ्तारी होने से शान्ति का माहौल बना था, परन्तु उक्त अपराधकर्मी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. के0हाट सहायक थाना कांड संख्या-436/04 दिनांक-11.12.04 धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्स एक्ट
2. सदर थाना कांड संख्या-26/05 दिनांक-28.01.05 धारा-302/120बी0 भा0द0वि0, एवं 27 आर्स एक्ट।

जमानत पर बाहर आने के बाद इस अपराधकर्मी के द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर मतदाताओं को डराने-धमकाने की बात सामने आयी है। इस बात की पूरी-पूरी आशंका है कि इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में कांड लंबित है उनमें गवाही देने के लिए वादी और साक्षीगण या तो डर से जायेंगे ही नहीं और यदि जायेगे तो उसके विरुद्ध गवाही नहीं देंगे बल्कि अपना बयान बदल लेंगे।

वर्तमान में ये आगामी विधान सभा निर्वाचन-2015 के मद्देनजर सहयोगियों के मदद से थाना क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकी देने की बात प्रकाश में आयी है।

विपक्षी को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। विपक्षी नवीन कुमार यादव, पिता- सदानंद यादव, सा0-चिमनी बाजार, थाना-सदर, जिला-पूर्णियाँ के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु साक्ष्य सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उसके अपराधिक गतिविधि के मद्देनजर, अपराधिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने के लिए, ताकि लोक शान्ति एवं आसन्न विधान सभा निर्वाचन-2015 को शान्तिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-03 के अन्तर्गत क्यों नहीं कार्रवाई की जाय के सम्बन्ध में कारण पृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। कारणपृच्छा दाखिल की गई। इनका कथन है कि इसमें मुझे फसाया गया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके द्वारा समर्पित कारणपृच्छा असंतोषजनक है।

